


भूमि सुधार उपसमाहर्ता का न्यायालय, सरायकेला

टी० ए० मिस वाद संख्या 224B/2015-16

गुरुचरण महतो बनाम सषता देवी

:: आदेश ::

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
	<p>अभिलेख उपस्थापित। बिक्रेता गुरुचरण महतो, पिता स्व० परेश महतो, ग्राम-हातियाडीह, थाना-आदित्यपुर, जिला-सरायकेला-खरसावाँ ने पारिवारिक खर्च हेतु क्रेता श्रीमति सषता देवी पिता किशन महतो, ग्राम-हातियाडीह, थाना-आदित्यपुर, जिला-सरायकेला-खरसावाँ को निम्नांकित भूमि की बिक्री करने के लिए छोटानागपुर कस्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत अनुमति हेतु अनुरोध किये थे। न्यायालय द्वारा निर्गत सूचना एवं आवेदन का तामिला अप्राप्त है। आवेदक पक्ष की ओर से कोई पैरवी या रुचि नहीं लिया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक का यथा आवश्यकता पूर्ण हो गयी है।</p> <p>अतः ऐसे स्थिति में वाद को निस्तार किया जाता है। आवेदक यदि चाहे तो पुनः आवेदन समर्पित कर सकते हैं।</p>	

  
05/06/18  
भूमि सुधार उप समाहर्ता,  
सरायकेला।